

The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2018

Act 1 of 2019

Keyword(s): Migrant Workmen, Employment, Conditions of Service

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 जनवरी, 2019 पौष 20, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 60 / 79-वि-1—19-1(क)8-2018 लखनऊ, 10 जनवरी, 2019

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)

(उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बंध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और संक्षिप्त नाम और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा। विस्तार
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 30 सन् 1979 की धारा 4 का संशोधन 2-अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में:-

- (क) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-
- "2 (क) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करें रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा अन्यथा उक्त अविध की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जायेगा।
- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र आवेदक द्वारा विभागीय वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व विहित फीस संदाय के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी दशा में यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रिजस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रिजस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि रिजस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रिजस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

धारा 9 का संशोधन

(ख) उपधारा (3) को हटा दिया जायेगा।

3-मूल अधिनियम के धारा 9 में, उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी:-

- "(4) (क) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करें अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अविध की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति मंजूर किया गया माना जायेगा।
- (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र आवेदक द्वारा विभागीय वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व विहित फीस संदाय के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः अनुज्ञप्ति मंजूर कर लिया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि अनुज्ञाप्ति, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा अनुज्ञाप्ति अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

उद्देश्य और कारण

प्रवासी कर्मकारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया गया है।

विगत अनेक वर्षों से उपक्रमों के रिजस्ट्रीकरण की निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग बढ़ती रही है जिससे कि रिजस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति को सुविधाजनक बनाया जा सके। अतएव नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से समुचित विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चिय किया गया है कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने के

दिनांक से एक दिन के भीतर रिजस्ट्रीकरण और अपराध हेतु विहित जुर्माने सिंहत प्रशमन शुल्क स्वरूप पचास प्रतिशत जुर्माने के भुगतान पर प्रथम अपराध के प्रशमन की व्यवस्था करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन किया जाय।

उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किया गया और उसके द्वारा पारित किया गया। उक्त विधेयक महामहिम राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल महोदय द्वारा संरक्षित कर लिया गया और उस पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमित प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने उक्त विधेयक में कतिपय उपांतरण किये जाने की संस्तुति की है। भारत सरकार की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विधेयक को वापस ले लिया जायेगा और उसके स्थान पर अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक दिन के भीतर रिजस्ट्रीकरण और आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एक दिन के भीतर लाइसेंस प्रदान किये जाने की व्यवस्था करना अपेक्षित है, राज्य विधान मण्डल में पुर:स्थापित किया जायेगा।

तदनुसार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, संजय खरे, प्रमुख सचिव।

No. 60(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-8-2018 Dated Lucknow, January 10, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Antarrajyik Pravasi Karmkar (Niyojan Ka Viniyaman Aur Sewa Shart) (Uttar Pradesh Sansodhan) Adiniyam, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 17, 2018.

THE INTER- STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2018 (U.P.ACT NO. 1 OF 2019)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2018.

extent

Short title and

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 4 of Act no. 30 of 1979

- 2. In Section 4 of the Inter-State Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act,-
 - (a) for sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-
 - "(2) (a) On submission of application complete in all respect, the registering officer shall grant or refuse to grant registration within one day after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government. On the expiry of the said period, the registration shall be deemed to be granted.
 - (b) the application referred to in clause (a) may be submitted by the applicant on departmental web portal along with necessary documents and payment of prescribe fee. In such case if the application is complete in all respect and the applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the web portal and registration certificate be sent through e-mail:

Provided that if the registration is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by registering officer and legal action shall be taken against the applicant."

(b) sub-section (3) shall be omitted.

Amendment of section 9

- 3. In Section 9 of principal Act, after sub-section (3) the following sub section shall be *inserted*, namely:-
 - "(4) (a) On submission of an application complete in all respect the licensing officer shall grant or refuse to grant license within one day after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government. On the expiry of the said period license shall be deemed to be granted.
 - (b) the application referred to in clause (a) may be submitted by the applicant on departmental web portal along with necessary documents and payment of prescribed fee. In such case if the application is complete in all respect and the applicant is eligible, automatic license shall be granted by the web portal and license certificate be sent through e-mail:

Provided that if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing officer and legal action shall be taken against the applicant."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Inter-State Migrants Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 has been *enacted* by the Central Government with the object of regulating the employment and service conditions of migrant workers.

For the last many years there has been a growing demand for fixing a definite time line for registration of undertakings so as to make registration and licensing convenient. It had, therefore, been decided to amend the aforesaid Act in its application to Uttar Pradesh, after due consultation with association of employers and trade unions, to provide for registration within one day from the date of submission of application and compounding of first offence on payment of fifty percent of the fine as compounding fee along with prescribed fine for the offence.

In order to implement the aforesaid decision the Inter-State Migrants Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 was introduced in, and passed by, the Uttar Pradesh State Legislature. The said Bill was reserved by the Governor for consideration of the President and sent to the Government of India for obtaining the assent of the President thereon. The Government of India has recommended certain modification in the Bill. On the recommendation of the Government of India it has been decided that the said Bill shall be withdrawn and in place thereof the Inter-State Migrants Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2018 which seeks to provide for registration within one day from the date of submission of application and grant of license within one day after the submission of an application, shall be introduced in the State Legislature.

The Inter-State Migrants Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2018 is introduced accordingly.

By order, SANJAI KHARE, Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0**पी0-ए0पी0 463 राजपत्र-2**019-(1191)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)। पी0एस0यू0**पी0-ए0पी0 122 सा0** विधायी-2019-(1192)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।